अल्पकालिक निविदा सूचना

पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः पीएसी–तीन–730–2022/811 दिनांक 16–07–2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मानक मद–29 अनुरक्षण (वार्षिक मरम्मत कार्य) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष शासनादेश संख्याः 254/2022/2080052/2022 015/6–7099–175–2022 दिनांक 13–04–2022 एवं उक्त कम में निर्गत उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्याः ग्यारह–2222(बजट)–2005 दिनांक 11–6–12 के प्रस्तर–7 में दिये गये निर्देशों के अनुकम में निम्नांकित चयनित/अनुमोदित कार्यो के सम्पादन हेतु रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्मो से मुहरबन्द निविदा **दिनांक 28–11–2022** को आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नवत है।

कस	कार्य का नाम	पत्रावली	टेण्डर फार्म शुल्क	अर्नेस्ट मनी
01	हाउस गार्द बैण्ड बैरिक लखनऊ परिसर की चारों तरफ की वाउन्ड्रीवाल की अन्दर की रंगाई–पुताई व मरम्मत कार्य।	भ–16/22	रू0 200/– प्रति फार्म प्रत्येक कार्य हेतु	कार्य की धनराशि का दो प्रतिशत
02	हाउस गार्द बैण्ड बैरिक लखनऊ परिसर की चारों तरफ की वाउन्ड्रीवाल की बाहर की रंगाई–पुताई व मरम्मत कार्य।	भ–17/22		
03	दो बडे बैरिकों के बीच स्थित छोटे कमरें की दीवारों की मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य।	भ–18/22		
04	बैरिक नं0 01 की फाल सिलिंग की मरम्मत।	भ–19/22		
05	बैरिक नं0 02 की फाल सिलिंग की मरम्मत।	भ–20/22		
06	बैण्ड बैरिक के उत्तर पूर्व स्थित बने छोटे कमरें की छत की शैड,दीवारों की मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य।	भ–21/22		

1– निविदा फार्म **दिनांक 26–11–2022** तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रू0 200/– जमाकर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2– उपरोक्त प्रत्येक कार्य हेतु अलग–2 निविदा **दिनांक 28–11–2022** को प्रातः 10:00 बजे से 13:00 बजे डाली जा सकती हैं, जिसे **दिनांक 28–11–2022** को अपरान्ह 13.00 बजे वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी उप सेनानायक/सहायक सेनानायक द्वारा निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी।

3– सम्पूर्ण कार्य सम्पादन के लिए जिस धनराशि का टेण्डर दिया जाये, उसका एक प्रतिशत कोषागार को चालान बनाने के लिए प्रत्येक टेण्डर के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक है ऐसे टेण्डर जिनके साथ अर्नेष्ट मनी संलग्न नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– उसी व्यक्ति का टेण्डर स्थाई अथवा अस्थाई रूप से दिया जाना है, उसके अनुबन्ध पत्र पर बुलाये जाने की तारीख से 07 दिवस के अन्दर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, ऐसा न करने पर उसके अर्नेष्ट मनी का धन जब्त कर लिया जायेगा, और टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

5– यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का टेण्डर स्थाई रूप से स्वीकृत कर दिया जाये, उसे संस्था/ठेकेदार द्वारा निर्धारित तारीख से कार्य प्रारम्भ करना होगा।

6–– निविदा में प्रस्तावित कार्य की संख्या को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि का स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा।

7– सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने फर्म के आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाणपत्र आदि अभिलेख संलग्न करना होगा।

8– प्रत्येक निविदा के साथ प्रस्तावित कार्य के कुल धनराशि के **दो प्रतिशत** के बराबर धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9– सरकार /विभाग निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार करने अथवा किसी टेण्डर को स्वीकार न करने के कारण को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।

10– कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11– यदि ठेकेदार द्वारा निर्माण/विशेष व वार्षिक मरम्मत के कार्यो के निष्पादन में पानी की व्यवस्था निजी स्तर पर नहीं किया जाता है, तो उसको टेण्डर धनराशि का **डेढ प्रतिशत** बतौर पानी चार्ज की वसूली की जायेगी।

12– कार्यालय द्वारा कार्य को पूर्ण करने का जो समय निर्धारित किया जायेगा उसी अवधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो अनुबन्ध में की गयी शर्तो के अनुरूप बिलम्ब किये गये अवधि के लिए अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी।

13– जिस ठेकेदार के टेण्डर को स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उस दशा में उसके द्वारा टेण्डर के साथ जमा की गयी धनराशि को तत्काल उसे वापस कर दिया जायेगा।

14– ठेकदार को नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगी।

15– कोई अधिवक्ता जो बार काउंसिल में पंजीकत होगा, निविदा में भाग नहीं ले सकता है। इसी प्रकार ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि वे न तो बार काउंसिल के पंजीकृत अधिवक्ता हैं न ही उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

16– उक्त कार्यो से सम्बन्धित शर्ते, निर्देश एवं आगणन 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः नवम्बर, ,2022

13/11/22

(जय प्रकाश)
सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतुः–

1– कण्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर कराने का कष्ट करें।
2– पुलिस आयुक्त, लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, उन्नाव, बाराबकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, खीरी/सेनानायक 35वीं, 10वीं, 25वीं, 30वी, 27वीं, 11वीं, 2वीं, वाहिनी पीएसी।
3– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जिला उद्योग अधिकारी लखनऊ।
4– समस्त राजपत्रित अधिकारी/शिविरपाल/सूबेदार सैन्य सहायक/समस्त दलनायक को निविदा का समुचित प्रचार/प्रसार कराने हेतु।
5– कार्यालय नोटिस बोर्ड/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।
6– उप सेनानायक/सहायक सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 30–11–2022 को निविदा प्रपत्र अपने सम्मुख खुलवाकर उसका तुलनात्मक चार्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित करें।
7– शिविरपाल 32वी वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से भी उक्त निविदा प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।